निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र सं0– C 563 /बा0वि0परि0/PFMS/2017–18 दिनांक 05 अक्टूबर,2017

समस्त ज़िला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय :–आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं को PFMS प्रणाली से मानदेय भुगतान प्राप्त करने व बैंक/आधार संख्या, को लिंक कराये जाने के संबंध में।

उर्पयुक्त विषयक निदेशालय परिपत्र सं0–1313–15 दिनांक 21.11.2016 व अनुस्मारक पत्र सं0–59–61 दिनांक–19.4.2017 का संदर्भ लें जिसके द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के बैंक खाता संख्या, IFS Code, आधार संख्या एवं मोबाईल नम्बर digitally maintain रहने व PFMS प्रणाली से जोड़े जाने हेतु NIC द्वारा विकसित वेव पोर्टल htt:\\nmyojna.nic.in\icds\ पर फीड कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के विवरण, बैंक/आधार संख्या से जोड़े जाने की एन0आई0सी0 पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि 326380 लाभार्थियों के सापेक्ष वर्तमान तक 238395 लाभार्थियों का ही आधार से लिंक हो पाया है जो कि मात्र 73 प्रतिशत है। जबकि शत–प्रतिशत लाभार्थियों का आधार से लिंक किये जाने के निर्देश दिये गये किन्तु शत–प्रतिशत लाभार्थियों का आधार से लिंक न कराया जाना उच्चादेशो की अवहेलना है। इस संबंध में निदेशक, जन शक्ति नियोजन प्रभाग,राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0,लखनऊ के पत्र सं0–119/7–243/ज0नि0प्र0/20165 दिनांक–04.10.2017 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–05.10.2017 को समीक्षा बैठक आहूत की जा रही है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर शत–प्रतिशत लाभार्थियों का एक सप्ताह के अन्दर आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

5/10/17
(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) सचिव,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0 शासन।
(2) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र योजना भवन,लखनऊ।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।